10/5/18

नि. रामलाल
मेरे पिता की मृत्यु हुई है, 2 साल हुई है
पुत्र तुलसीराम पुत्र नाथूलाल
10-5-2018

पत्रावली लोक अदालत कैम्प लाख सनीजा में पेश हुई। प्रतिवादी नं0 1 का पुत्र रामलाल मजमें आम में उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 ने उपस्थित होकर कथन किये कि प्रतिवादी नं0 1 नाथूलाल की दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। साथ ही नाथूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार 07.07.2016 को होना जाहिर आता है। किसी भी पक्षकार की मृत्यु होनें के उपरान्त उसकी मृत्यु की सूचना न्यायालय को देना, वादी का दायित्व है। पक्षकार की मृत्यु के उपरान्त उसके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेनें की अवधि 90 दिवस अधिकतम होती है। जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु दिनांक 07.07.2016 को ही हो गई थी। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु को लगभग 2 वर्ष व्यतित हो चुके है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अबेट हो चुका है। वैसे भी प्रकरण में वादी द्वारा एडवर्स पजेशन एवं इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद चलनें योग्य नहीं होनें से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प लाख सनीजा

उनवान

रामलाल पुत्र फूंदीलाल जाति मीणा निवासी रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र भैरूलाल जाति भील निवासी रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–19/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 10.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner